कार्यवाही की गई है और इस सम्बन्ध में राज्यवार ब्यौरा क्या हैं?

श्रम मंत्री (डा0 सत्यानारायण जटिया) : (क) से (ड.) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

श्रम संबंधी मामलों का निपटान

2820. **श्री नागमणि** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)क्या सरकार ने श्रम संबंधी मामलों को शीघ्र निपटाने के लिये अतिरिक्त श्रम मंत्रालय, औद्योगिक न्यायाधिकरण और लोक अदालतों की स्थापना की हैं;

(ख)यदि हां, तो पिछले दो वर्षो का तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और

(ग)फरवरी, 1998 तक कितने मामले लम्बित हैंt

और इन न्यायालयों द्वारा कितने निपटाए गए हैं?

श्रम मंत्री (डा0 सत्यनारायण जटिया) : (क) से (ग) औद्योगिक विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए भारत सरकार ने अब तक 12 केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सह-श्रम न्यायालयों की स्थापना की है जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत समुचित सरकार हैं। पिछले दो वर्षो में अन्य कोई केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायाल की व्यवस्था नहीं की गई हैं। श्रम मामलों के निपटान के लिए केन्द्रीय सरकार ने लोक अदालतों की व्यवस्था नहीं की हैं।

वर्ष 1997 के दौराने केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-रम न्यायलयों के माध्यम से निपटाने गये तथा लम्बित मामलों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न हैं।

विवरण

वर्ष 1997 (31.12.1997 की स्थिति के अनुसार) के दौरान केन्द्रीय सरकार औद्योगिक-सह-श्रम न्यायालयों द्वारा निपटान गए तथा लम्बित मामलों की संख्या

कम संख्या	केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधकरण सह-श्रम न्यायालय का नाम	जनवरी 1997 की स्थिति के अनुसार अग्रानीत	वर्ष 1997 के दौरान प्राप्त	वर्ष 1997 के दौरान निपटाए गए	31.12.97 की स्थिति के अनुसार लम्बित
1.	आसनसोल	201	65	93	173
2.	बंगलौर	371	-	3	368
3.	कलकत्ता	312	53	75	290
4.	चंडीगढ़	867	198	-	1065
5.	सं01. धनबाद	900	203	96	1007
6.	सं0 22. धनबाद	715	146	31	830
7.	जवलपुर**	1364	168	1	1531
8.	कानपुर	576	260	381	455
9.	सं0 1 मुंबई	170	72	56	186
10	सं0 2 मुंबई	105	99	87	117
11.	नई दिल्ली	729	196	154	771
12.	जयपुर***				
	कुल	6310	1460	977	6793

* 3.8.97 स्थिति के अनुसार

** 31.8.97 की स्थिति के अनुसार

*** कार्य अभी शुरू किया जाना हैं।